

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

1. बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र में मैं आप सभी माननीय सदस्यों एवं आपके माध्यम से राज्य की उस महान् जनता का जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अभिवादन करता हूँ।
2. माननीय सदस्यगण ! आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने 19 जनवरी, 2004 को विधान सभा के प्रथम सत्र के अभिभाषण में सभी को न्याय और सम्मान देने के साथ-साथ राजस्थान के सुनहरे भविष्य का सपना संजोया था। मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि वह सपना आज साकार हो रहा है। चार साल पहले का 'बीमारू' राजस्थान आज जुझारू राजस्थान है। आत्मनिर्भर, ऊर्जावान, चेतनावान, उदीयमान राजस्थान की शान निराली है। चहुंमुखी बहुआयामी विकास से घर-घर में खुशहाली है। हमारी सरकार ने उत्कृष्टता के कीर्तिमान कायम करते हुए राज गगन पर गत चार साल में चार चाँद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
3. हमारी सरकार पारदर्शी, संवेदनशील व लोक कल्याणकारी प्रशासन के माध्यम से जन-जन का सपना पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील है।
4. सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बेहतर सामाजिक और आर्थिक आधारभूत सुविधाएं सुलभ कराने के साथ ही रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। आधारभूत संरचना का विकास एवं युवाओं को आजीविका के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
5. राज्य सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में राजस्थान के समग्र विकास के लिए किये गये अथक प्रयासों से आम जन में विकास के प्रति विश्वास बढ़ा है। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विकसित हो रहे प्रदेश के रूप में अपनी सशक्त और प्रभावी पहचान के साथ निरन्तर आगे बढ़ रहा है।
6. राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन से राजस्व आय में वृद्धि हुई है तथा राज्य ओवरड्राफ्ट की समस्या से मुक्त हो गया है। मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का आकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के आकार से दोगुना से भी अधिक हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पहचान बनी है तथा राज्य को कई पुरस्कार मिले हैं। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अग्रणी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान पूरे देश में प्रथम रहा है।
7. राज्य सरकार द्वारा राज्य की वार्षिक योजना के आकार में पिछले चार वर्षों में भारी वृद्धि की गई है। गत सरकार ने पांच वर्ष में 20 हजार 220 करोड़ रुपये व्यय किये जबकि विगत चार वर्षों में ही 34 हजार 140 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
8. यह गौरव का विषय है कि योजना आयोग द्वारा राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का आकार 71 हजार 732 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया। वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना का आकार 14 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है जो वर्ष 2007-08 से 20 प्रतिशत से भी अधिक है। आगामी वर्ष में विद्युत् को प्रथम एवम् सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को द्वितीय प्राथमिकता दी गई है।

9. राज्य सरकार द्वारा राज्य में निवेश पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने तथा उत्पादक एवं स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन को प्राथमिकता देने के निर्णय के फलस्वरूप राज्य की आर्थिक प्रगति में भी आशातीत परिणाम आये हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) जो 1999-2000 में 73 हजार 370 करोड़ रुपये प्रचलित मूल्यों पर था वह बढ़कर 2006-07 में एक लाख 25 हजार 656 करोड़ रुपये हो गया है। प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 1999-2000 में 13,477 रुपये थी वह 2006-07 में बढ़कर 19,920 हो गई।
10. वेट कर प्रणाली लागू होने के प्रथम वर्ष 2006-07 में 6,721 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया जो पूर्व वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है।
11. महिलाओं के पक्ष में कृषि भूमि हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 11 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत किए जाने के उत्साहवर्द्धक परिणाम आए हैं।
12. राज्य सरकार की विनियोजन प्रोत्साहन नीति एवं उत्प्रेरक भूमिका के परिणामस्वरूप राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। नवम्बर, 2007 में आयोजित "रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट" के अवसर पर राज्य में 1 लाख 62 हजार 607 करोड़ रुपये के निवेश हेतु एमओयू एवं लैटर ऑफ इंटेंट हस्ताक्षरित किये गये। इन निवेश प्रस्तावों के अन्तर्गत लगभग 8 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
13. राज्य सरकार का यह प्रयास रहा है कि राज्य में वाणिज्य एवं उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर Business Friendly Environment बनाया जावे। राज्य सरकार के ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप ही विश्व बैंक द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट "Doing Business in South Asia 2007" में जयपुर को भारत के 12 मुख्य नगरों में मुम्बई एवं चैन्नई से भी ऊपर, तीसरे स्थान पर रखा गया है।
14. हाल ही में राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने के साथ ही फसलों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रदेश के 22 जिले पाला एवं शीतलहर से प्रभावित हुए हैं। इस साल पाला गिरने से रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में हुए नुकसान के आंकलन के लिए गिरदावरी कराई जा रही है और जिला कलेक्टरों को तत्काल रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। अनुमान है कि प्रदेश में करीब 3 लाख किसानों की लगभग 10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं और इससे उन्हें करीब एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है। भारत सरकार द्वारा जारी सी.आर.एफ. मानदण्डों में अधिसूचित आपदाओं में पाला एवं शीतलहर सम्मिलित नहीं हैं। इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार से पाला एवं शीतलहर को भी CRF में शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया है ताकि प्रभावित कृषकों को सहायता दी जा सके।
15. राज्य सरकार द्वारा सी.आर.एफ. के मानदण्डों में पाला तथा शीत लहर को शामिल किये जाने संबंधी मांग का प्रत्युत्तर भारत सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद प्रभावित काश्तकारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ऐसे काश्तकारों को वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु 126 करोड़ रुपये की एक विशेष पैकेज की घोषणा दिनांक 15.2.2008 को कर दी गई है। आदान अनुदान के साथ लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को 4 माह के विद्युत

बिल की राशि माफ करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिंचाई विभाग के आबियाना शुल्क को भी माफ किया गया है तथा प्रभावित काश्तकारों के अल्पकालीन सहकारिता ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित कर राहत कार्य खोलने के भी आदेश दिये गये हैं।

16. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गत चार वर्षों में 5 हजार 234 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो कि इसके पूर्व के पांच वर्षों में व्यय किये गये 3 हजार 331 करोड़ रुपये की तुलना में 57 प्रतिशत अधिक हैं। वर्ष 2007-08 में ही दिसम्बर, 2007 तक 1,449 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।
17. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रोजगार गारन्टी योजना क्रियान्वयन में राजस्थान समूचे देश में प्रथम रहा है। जिसकी सराहना न केवल केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा अपितु विभिन्न संस्थाओं ने भी की है। वर्तमान में यह योजना 12 जिलों में क्रियान्वित है तथा 1 अप्रैल, 2008 से राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जाएगी।
18. इस योजनान्तर्गत एक ओर जहां देश में औसतन 27 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया वहीं राजस्थान में यह 55 दिन का रहा। 312 लाख परिवारों ने 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत केशव बाड़ी योजना के रूप में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तिगत खेतों पर 1 लाख 64 हजार 809 फार्म पौंड, टांका, कुएं खुदवाई, बागवानी तथा भूमि सुधार के कार्य स्वीकृत किये गये। इससे इन परिवारों की आय में वृद्धि होगी। सहरिया परिवारों के लिए विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2007 तक 1 लाख 27 हजार मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया।
19. इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की राशि को अपर्याप्त मानते हुए अनुसूचित जनजाति उप- योजना क्षेत्र के परिवारों को 25 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि आवास निर्माण हेतु पर्याप्त राशि जनजाति बी. पी.एल. परिवारों को उपलब्ध हो सके। विगत चार वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 29 हजार आवासों का निर्माण करवाया गया। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रतिवर्ष व्यय किए गए 45 करोड़ रुपये की तुलना में पिछले चार वर्षों में प्रतिवर्ष 87 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।
20. ग्रामीण विकास के कार्यों में जन भागीदारी को बढ़ाने की दृष्टि से गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान 5 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2007-08 में 60 करोड़ रुपये किया गया है तथा योजना में हर ग्राम पंचायत को लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
21. जलग्रहण विकास कार्यों पर गत 4 वर्षों में 1049 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई, जो कि इससे पूर्व के पांच वर्षों में व्यय की गई 594 करोड़ रुपये से लगभग दुगुनी है।
22. मिड-डे-मील योजना के तहत 80 हजार 500 विद्यालयों के 94 लाख छात्रों को मिड-डे-मील वितरित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में ही यह योजना है, परन्तु राज्य

सरकार द्वारा शेष सभी विकास खण्डों में अपने संसाधनों से कक्षा 6 से 8 के लिए मिड-डे-मील का वितरण प्रारंभ किया गया है।

23. राज्य में पहली बार खनिज से प्राप्त रॉयल्टी की एक प्रतिशत अंशदान की राशि वर्ष 2001-02 से पंचायती राज संस्थाओं को देना प्रारंभ किया गया है। अब तक कुल 23 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गई है।
24. पंचायतों को सशक्त करने की दृष्टि से बी.पी.एल. परिवारों को आबादी भूमि से निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने की शक्तियां पंचायतों को दी गई हैं। इसके अलावा आबादी भूमि पर गृह निर्माण हेतु कब्जों को निःशुल्क विनियमित किया गया। अब तक 16 हजार 147 योग्य परिवारों को निःशुल्क या रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित कर लाभान्वित किया गया है।
25. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत अब तक कुल 7 लाख 28 हजार 563 व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों व 33 हजार 618 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी जिलों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जबकि दिसम्बर, 1998 से नवम्बर, 2003 के दौरान 10 जिलों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान मात्र 17 हजार 201 निजी शौचालयों एवं विद्यालयों में 2 हजार 145 शौचालयों का निर्माण करवाया गया था।
26. उपलब्ध जल के अधिकतम एवं अनुकूलतम उपयोग की नीति पर चलते हुए वर्तमान सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 3 हजार 500 करोड़ रुपये व्यय कर 4 लाख 56 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। पूर्व सरकार ने पांच वर्षों में मात्र 2 हजार 22 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 3 लाख 76 हजार हैक्टेयर क्षेत्र ही अतिरिक्त सिंचाई हेतु विकसित किया। वर्षों से अधूरी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कर जन साधारण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से गत चार वर्षों में 158 सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। जबकि इससे पूर्व के पांच वर्षों में 87 योजनाएं ही पूर्ण की गई थी।
27. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए 6 लिफ्ट परियोजनाओं का पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें 31 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। जल संरक्षण एवं भू-जल रिचार्ज के लिए 372 करोड़ रुपये लागत के 3 हजार 477 हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 202 करोड़ रुपये का व्यय कर 1 हजार 951 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।
28. सिंचाई परियोजनाओं को चाक चौबन्द करने के लिए पहली बार नहरों की री-वैम्पिंग का कार्य शुरू किया गया है। प्रदेश की 518 लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनरुद्धार कार्य हाथ में लिया है, जिससे 1 लाख 27 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। जल संसाधन के क्षेत्र में गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जन समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
29. सिंचित क्षेत्र विकास परियोजनाओं हेतु गत चार वर्षों में 245 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराकर 2 लाख 15 हजार 103 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण करवाया गया, जिससे नहर के अन्तिम छोर के कृषकों तक पानी पहुंचाया जा सका है।

30. चम्बल परियोजना क्षेत्र में गत सरकार ने पांच वर्षों में केवल 10 हजार 444 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि सुधार कार्य करवाये थे, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में ही 15 हजार 682 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि सुधार कार्य करवाकर गत सरकार की तुलना में 150 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है।
31. राज्य सरकार गांवों को सड़कों से जोड़ने तथा सड़क तंत्र के सुदृढीकरण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। प्रति एक लाख जनसंख्या पर राज्य में सड़कों का घनत्व 270 किलोमीटर था। विगत चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 27 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर है।
32. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अग्रणी रहा है। विश्व बैंक व भारत सरकार ने समय-समय पर योजनान्तर्गत हुए कार्यों की प्रशंसा की है। इस योजना के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में 24 हजार 84 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 7 हजार 643 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, जबकि इससे पूर्व के पांच वर्षों में 3 हजार 936 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर मात्र 918 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया था। इस प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विगत सरकार से 6 गुना अधिक सड़कों का निर्माण कर 7 गुना अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। गत 4 वर्षों में 3 हजार 667 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो पूर्व के पांच वर्ष के कार्यकाल की तुलना में 7 गुना अधिक है।
33. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में औसतन प्रतिदिन 18 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 6 गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा है, जबकि गत सरकार द्वारा औसतन प्रतिदिन 4 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर मात्र एक गांव को जोड़ा गया था।
34. प्रदेश में सड़क तंत्र के सुदृढीकरण के लिए वर्तमान सरकार ने अनेक अभिनव प्रयास प्रारंभ किये हैं। राज्य मार्ग व मुख्य जिला सड़कों पर स्थित आबादी क्षेत्रों में 157 करोड़ रुपये व्यय कर 219 किलोमीटर सीमेन्ट कंकरीट, पत्थर खरंजे की सड़कों का निर्माण किया गया। वर्षों पुरानी 4 हजार 84 किलोमीटर लम्बी मेटल (गिट्टी) सड़कों का डामरीकरण किया गया। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दस जिलों के 67 विधान सभा क्षेत्रों में 265 सड़कें चिन्हित कर 664 किलोमीटर से अधिक लम्बाई में सड़क निर्माण हेतु 100 करोड़ 43 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत कर कार्यादेश दिये जा चुके हैं।
35. वर्तमान में निजी क्षेत्र में 2 मेडिकल तथा 10 दन्त महाविद्यालय संचालित हैं। एक निजी संस्था को चिकित्सकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा वर्ष 2008-09 से पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। इसके अलावा एक निजी संस्था को मेडिकल कॉलेज तथा दो संस्थाओं को दन्त कॉलेज खोलने के लिए आशय पत्र तथा 5 निजी संस्थाओं को दन्त कॉलेज खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। झालावाड़ में स्वायत्तशासी संस्था के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है।
36. प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज राजस्थान उच्च शिक्षा में विस्तार की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से आगे है। भारत में जहां 77 हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है वहीं राजस्थान में 57 हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है। वर्ष 2003 तक प्रदेश में

509 महाविद्यालय थे, जो आज बढ़कर 996 हो गये हैं। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए इस वर्ष सामान्य शिक्षा के 26 महाविद्यालयों में 42 रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं। प्रथम बार राज्य सरकार द्वारा पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है एवं 25 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं।

37. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विगत सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल की तुलना में गत 4 वर्षों में दुगुने से अधिक बजट प्रावधान किया गया। विगत 4 वर्षों में आयोजना मद में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत किया गया, जबकि गत सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 66 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे।
38. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के संतुलित एवं समन्वित विकास हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 450 नये तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं, जिनमें 51 हजार 539 प्रवेश स्थान बढ़े हैं, जबकि गत सरकार के कार्यकाल में स्थापित 84 तकनीकी संस्थानों में 12 हजार 283 प्रवेश स्थान ही बढ़े। इन प्रवेश स्थानों में वृद्धि के फलस्वरूप आज हमने आई.टी.आई., एम.बी.ए. एवं फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रति लाख जनसंख्या पर प्रवेश सीटों के राष्ट्रीय औसत को पार कर लिया है।
39. पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने आकर्षक **Incentive Scheme** जारी की है, जिसके अन्तर्गत इन पिछड़े क्षेत्रों में संस्थानों को निःशुल्क भूमि देने का प्रावधान किया गया है। महिला पॉलिटैक्निक की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि के साथ निःशुल्क भवन देने की व्यवस्था की गई है। इस निर्णय के फलस्वरूप 12 जिलों में पॉलिटैक्निक कॉलेज, 18 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 106 ब्लॉक्स में आई.टी.आई. स्थापित करने हेतु निजी निवेशकों का चयन किया जाकर संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं।
40. राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2007-08 से द्वितीय पारी का संचालन स्व-वित्तपोषित आधार पर प्रारम्भ किया गया है। प्रथम चरण में द्वितीय पारी में रोजगारोन्मुखी तथा अधिक मांग वाले पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं। इससे इन संस्थानों की प्रवेश क्षमता में लगभग 7000 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है।
41. शिक्षा के क्षेत्र में गत चार वर्षों में 45 हजार 188 नवीन विद्यालय खोले गये हैं या क्रमोन्नत किये गये हैं तथा 73 हजार नवीन नियुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सरकार के 1500 दिनों के कार्यकाल में प्रतिदिन 3 से अधिक विद्यालय खोले गये तथा लगभग 5 शिक्षकों को रोजगार दिया गया है।
42. राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के सभी वर्ग के एक करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई, जिसमें गत चार वर्षों के दौरान लगभग 239 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
43. माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षा, शौचालय, पेयजल टंकी एवं रैम्स आदि के निर्माण हेतु पहली बार 113 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। साथ ही विद्यालय भवनों की मरम्मत पर 30 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई है।

44. स्कूल शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता के लिए 487 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (बीएड) संचालित किये जा रहे हैं, जबकि इससे पहले मात्र 29 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ही संचालित थे। इसी प्रकार राज्य में 164 निजी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों (एसटीसी) में शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य संचालित है, जबकि गत सरकार के कार्यकाल में निजी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय नहीं थे।
45. मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत 2 हजार 490 पंजीकृत मदरसों में 1 लाख 72 हजार छात्र-छात्राओं को राजकीय विद्यालयों की भांति निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई हैं, वर्तमान में 1 हजार 209 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। 330 मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही संस्कृत शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से 30 वेद विद्यालय भी खोले जा चुके हैं।
46. प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए विगत चार वर्षों में 14 हजार 480 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गईं। साथ ही अब तक 11 हजार 412 करोड़ रुपये लागत की 62 वृहद् परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं, जिससे 8 शहर, 841 ग्राम व 2 हजार 748 ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया गया।
47. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7 हजार 89 नलकूप व 1 लाख 1 हजार 223 हैण्डपम्पों का निर्माण करवाया गया है, जो पिछली सरकार की तुलना में बहुत अधिक है। पिछले चार वर्ष की अवधि में 4 हजार 473 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में भी पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है।
48. वर्तमान में स्वीकृत की जा रही वृहद् पेयजल परियोजनाओं का क्रियान्वयन एकल बिन्दु उत्तरदायित्व 'टर्न-की' आधार की संविदाओं पर करवाया जा रहा है। साथ ही संविदा में 3 से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु संचालन व संधारण का प्रावधान भी लिया जा रहा है।
49. राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आधारभूत ढांचे का विकास एवं सुदृढीकरण किया गया है। बजट में चिकित्सा मद में निरन्तर वृद्धि कर वित्तीय वर्ष 2007-08 में 1 हजार 516 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो वर्ष 2003-04 में किये गये प्रावधान से 147 प्रतिशत अधिक है।
50. राज्य में सुरक्षित प्रसव हेतु वर्ष 2005-06 में संस्थागत प्रसव की दर 28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 40 प्रतिशत हो गयी एवं वर्ष 2007-08 में 60 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2007 तक 50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। यह राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर स्वस्थ राज्य की श्रेणी में लाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
51. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राम पंचायत स्तर तक चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर स्वास्थ्य चेतना शिविरों के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 67 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार के अथक प्रयासों से मलेरिया रोगियों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 45 प्रतिशत तथा डेंगू रोगियों की संख्या में भी लगभग 70 प्रतिशत की कमी हुई है। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने

की दिशा में 365 चिकित्सा संस्थाओं में 24 घंटे चिकित्सा एवं प्रसूति सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

52. राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं का भी गठन किया गया है।
53. जनता में छोटे परिवार की अवधारणा को विकसित करने के लिए इस वर्ष मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत यदि कोई दम्पति एक बालिका या दो बालिकाओं के होने पर नसबन्दी ऑपरेशन करवाता है तो प्रत्येक बालिका के नाम पर राज्य सरकार 10 हजार रुपये की राशि जमा करवाएगी, जो बालिका को उसकी 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर देय होगी। राज्य में बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 5 जिलों में स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। गंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों के लगभग 7 लाख 86 परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।
54. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से गत चार वर्षों में 10 हजार 216 व्यक्तियों को 35 करोड़ 58 लाख रुपए की निःशुल्क दवाइयां एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 3 हजार 90 व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई गई 14 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि की तुलना में ढाई गुने से भी अधिक है।
55. 24 हजार रुपए से कम वार्षिक आय के अल्प आय वर्ग के परिवारों के 9 हजार 532 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से गंभीर बीमारियों के लिए गत चार वर्षों में 27 करोड़ 69 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
56. गत सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में एक भी आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी औषधालय नहीं खोला गया। वर्तमान सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में 95 आयुर्वेद, 65 होम्योपैथी व 24 यूनानी कुल 184 औषधालय खोले गये।
57. पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की गयी पहल के फलस्वरूप राज्य ने कृषि के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये हैं। कृषि एवं उद्यान विभाग के बजट में 6 गुना से अधिक वृद्धि की गई है। राज्य में अनाज, दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बीज तथा उर्वरक वितरण पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में क्रमशः लगभग दोगुना एवं डेढ़ गुना ज्यादा हुआ है।
58. प्रदेश में नवीन कृषि तकनीक को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन हाउस, पोलीनेट हाउस तथा हार्डटेक नर्सरियों की स्थापना की गई है। टिश्यू कल्चर की लैब झालावाड़ एवं श्रीगंगानगर में स्थापित की गई है। राज्य में फल-सब्जियों को ताजा रखने हेतु जयपुर में मुहाना मार्केट, शाहपुरा तथा चौमूं में पैक हाउस का निर्माण तथा एयरपोर्ट, जयपुर पर कूलिंग चैम्बर की स्थापना की गई है।
59. राज्य की 42 कृषि उपज मण्डी समितियों के उन्नयन, सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण की परियोजना स्वीकृत की जाकर प्रदेश में "जहां उत्पादन, वहीं विपणन" के आधार पर विशिष्ट जिन्सों की 20 मण्डियां स्थापित की गई हैं। पहली बार औषधीय मण्डियों की स्थापना कर सोजत में मेहंदी एवं सोनामुखी तथा झालरापाटन में अश्वगंधा की विशिष्ट मण्डी स्थापित की गई है। मण्डी प्रांगणों में

कृषकों को दुकानों एवं भूखण्डों के आवंटन हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षित दुकानों में से 30 प्रतिशत दुकानें एवं भूखण्ड अनुसूचित जाति व जनजाति एवं 30 प्रतिशत महिलाओं को आवंटित की जाएंगी।

60. वर्तमान सरकार द्वारा 'कृषक जीवन कल्याण योजना' के अन्तर्गत देय सहायता राशि लगभग दुगुनी की गई है। जहां पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों में 6,189 कृषकों को 11 करोड़ 81 लाख रुपये से लाभान्वित किया, वहीं वर्तमान सरकार ने मात्र 4 वर्षों में 9 हजार 607 कृषकों को 27 करोड़ 70 लाख रुपये से लाभान्वित किया।
61. किसानों के आवास एवम् प्रशिक्षण हेतु सात संभाग मुख्यालयों पर किसान भवनों की निर्माण स्वीकृति 23 करोड़ रुपये की जारी कर जयपुर व अजमेर में किसान भवनों का शुभारम्भ किया गया तथा शेष भवन मार्च, 2008 तक पूर्ण किये जायेंगे।
62. राज्य सरकार ने सहकारिता को आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाने का प्रयास करते हुए सहकारी संस्थाओं के सुदृढीकरण और सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया है। साथ ही विविधीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर माइक्रोफाइनेन्स, बीमा, सूचना-प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन जैसे नये क्षेत्रों में प्रवेश किया है। विगत 4 वर्षों में 10 हजार 68 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को उपलब्ध करवाये हैं, जबकि इससे पूर्व के 5 वर्षों में 5 हजार 584 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया था। इस प्रकार किसानों को पिछले 4 वर्षों में पूर्व के 5 वर्षों की तुलना में लगभग दो गुना अधिक राशि का फसली ऋण वितरित किया गया है। राज्य में किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा विगत 4 वर्षों में 990 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरण किया गया।
63. प्रदेश में पहली बार राजफैंड के माध्यम से 2 लाख मैट्रिक टन डीएपी खाद का अग्रिम भण्डारण किया गया। सहकारी समितियों द्वारा डीएपी वितरण करने से राज्य के काश्तकारों को आसानी से डीएपी की उपलब्धता हो पाई। विगत 4 वर्षों में सहकारी समितियों द्वारा लगभग 4 लाख 72 हजार मैट्रिक टन खाद किसानों को उपलब्ध करवाया गया, जबकि इससे पूर्व के 5 वर्षों में सहकारी समितियों के माध्यम से 3 लाख 23 हजार मैट्रिक टन खाद उपलब्ध करवाया गया था।
64. वर्ष 2007-08 में सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से 10 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 2008 तक 7 हजार 888 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है एवं लगभग 25 करोड़ रुपये का वित्त पोषण सहकारी बैंकों के माध्यम से किया गया है।
65. सहकारिता क्षेत्र की क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा विगत 4 वर्षों में कृषि उपज की खरीद, कृषि आदानों का वितरण एवं उपभोक्ता सामग्री में 7 हजार 375 करोड़ रुपये का रिकार्ड व्यवसाय किया गया। इससे पूर्व के 5 वर्षों में इन समितियों द्वारा 5 हजार 193 करोड़ रुपये का ही कारोबार किया गया था।
66. विद्युत् क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ करने हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना में किये गये 8 हजार 460 करोड़ रुपये के प्रावधान को 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीन गुना बढ़ाकर

25 हजार 606 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो राज्य योजना के कुल प्रावधान का लगभग 36 प्रतिशत है।

67. विगत चार वर्षों में विद्युत् उत्पादन क्षमता में 1411 मेगावाट की वृद्धि की गई है जिसमें 125 मेगावाट क्षमता की गिरल लिग्नाइट परियोजना एवं 330 मेगावाट क्षमता की धौलपुर गैस तापीय विद्युत् परियोजना से उत्पादन सम्मिलित है। राज्य में स्थापित पवन एवं बायोमास परियोजनाओं की स्थापित क्षमता में भी 410 मेगावाट की वृद्धि की गई है। गिरल की 125 मेगावाट की द्वितीय इकाई, छबड़ा तापीय विद्युत् परियोजना की 2x250 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयां एवं सूरतगढ़ व कोटा में क्रमशः 250 एवं 195 मेगावाट की अतिरिक्त इकाइयों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिनको इसी वर्ष पूरा किया जाकर वर्ष के अन्त तक 1 हजार 70 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन होने पर राज्य को लाभ मिलने लगेगा।
68. राज्य के सूरतगढ़ व कोटा तापीय गृहों द्वारा गत चार वर्षों से निरन्तर 85 प्रतिशत से अधिक पीएलएफ पर विद्युत् उत्पादन किया जा रहा है। विद्युत् प्रसारण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु गत चार वर्षों में 400 केवी के 2, 220 केवी के 11 एवं 132 केवी के 47 सब स्टेशनों का निर्माण पूर्ण कर चालू किया जा चुका है।
69. उप प्रसारण एवं वितरण के क्षेत्र में भी गत चार वर्षों में 33 केवी के 736 ग्रिड सब-स्टेशन बनाकर चालू किये जा चुके हैं। उप प्रसारण तंत्र के सुदृढीकरण के फलस्वरूप गत चार वर्षों में 2 हजार से अधिक गांवों का विद्युतीकरण, 1 लाख 30 हजार 244 कृषि विद्युत् कनेक्शन तथा 3 लाख 22 हजार 886 कुटीर ज्योति कनेक्शन और 29 हजार 486 अनुसूचित जाति के कुओं का ऊर्जाकरण किया गया है।
70. केन्द्रीय विद्युत् गृहों से राज्य को आवंटित विद्युत् की पूर्ण उपलब्धता नहीं होने पर भी राज्य सरकार किसानों को समुचित विद्युत् उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। दिसम्बर, 2003 में केवल 700 लाख यूनिट प्रतिदिन ही विद्युत् की आपूर्ति की जा रही थी, जबकि वर्तमान में औसतन 1120 लाख यूनिट की रिकार्ड विद्युत् आपूर्ति की जा रही है। राज्य सरकार ने विगत चार वर्षों में विशेषकर किसानों को 1965 करोड़ रुपये की विद्युत् क्रय कर रबी की फसल हेतु उपलब्ध करवाई है।
71. विद्युत् छीजत में कमी करने हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी विजय ज्योति फीडर सुधार अभियान प्रारम्भ किया गया है, जिसके सार्थक परिणाम आने लगे हैं। विद्युत् छीजत में गत वर्ष 5 प्रतिशत की कमी की गई है तथा इस छीजत में कमी का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगा है। पूर्व में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों को ही 24 घंटे विद्युत् आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब फीडर सुधार अभियान के तहत 4916 फीडरों का सुधार कार्य पूर्ण कर उनसे जुड़े 19 हजार गांवों को निर्बाध रूप से विद्युत् उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है, जिससे गृहणियों व विद्यार्थियों को विशेष लाभ हुआ है। शेष 16 हजार गांवों को भी जून, 2008 तक निर्बाध रूप से विद्युत् उपलब्ध करवाकर लाभान्वित करने का प्रयास किया जावेगा।
72. राज्य में प्रतापगढ़ को राज्य के 33वें जिले के रूप में गठित किया गया है। झालावाड़ जिले में मनोहरथाना, चित्तौड़गढ़ जिले में छोटी सादड़ी एवं अरनोद नये

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बनाये गये हैं। उदयपुर जिले में लसाड़िया एवं बांसवाड़ा जिले में पीपलखूंट नई तहसील सृजित की जाकर पीपलखूंट तहसील को प्रतापगढ़ जिले में सम्मिलित किया गया है।

73. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण के काश्तकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उपनिवेशन क्षेत्र में सामान्य एवं विशेष आवंटन की भूमि की कीमत की किस्तों का पुनर्निर्धारण क्रमशः 25 एवं 15 किस्तें निर्धारित की एवं देय ब्याज में भी छूट दी। इसके तहत 21 हजार 182 काश्तकार लाभान्वित हुए।
74. उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को अतिक्रमित भूमि नियमन के लाभ की दृष्टि से परियोजना क्षेत्र में नियमन हेतु निर्धारित पूर्व तिथि 1 जनवरी, 1995 को बढ़ाकर 1 जनवरी, 2000 से पूर्व 5 वर्ष से अधिक समय से काबिज अतिक्रमियों को नियमन का प्रावधान किया गया है।
75. परियोजना क्षेत्र में लम्बे समय से काश्तकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए अस्थाई आवंटियों को पुख्ता आवंटन करने हेतु काश्तकारों को आरक्षित राशि में देय छूट की अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2007 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2008 कर दी गई है, जिससे एक हजार 920 आवंटियों को पुख्ता आवंटन किया गया है।
76. भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के लिए विशेष आवंटन में अधिसूचित भूमि को मुक्त करने का नीतिगत निर्णय लिया गया। माही परियोजना क्षेत्र में मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र के टी.एस.पी. क्षेत्र वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से आरक्षित कीमत का 25 प्रतिशत लेकर तथा बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों को निःशुल्क भूमि आवंटन किया गया है।
77. समस्त उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन से संबंधित बकाया किस्तें 30 जून, 2006 तक जमा कराने पर ब्याज में छूट दी गई। 31 हजार 672 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
78. 31 मार्च, 1999 से पूर्व (प्री-कारगिल) विभिन्न युद्धों एवं काउन्टर इंसरजेंसी ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों की विधवाओं तथा अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को 750 रुपये प्रतिमाह की दर से सम्मान भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।
79. जयपुर में विद्याधर नगर के सैक्टर-2 में सेना मुख्यालय एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान में एक मात्र युद्ध विधवा छात्रवास एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित कर संचालन किया जा रहा है।
80. पुलिस प्रशासन एवं जनता के मध्य बेहतर सहयोग से राज्य में पिछले चार वर्षों में औसत अपराध स्थिति में काफी कमी आई है। पिछले चार वर्षों में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही। गंभीर अपराधों का वार्षिक औसत 10 हजार 454 रहा है, जबकि पूर्ववर्ती पांच वर्षों में यह औसत 20 हजार 720 था। इसी प्रकार लोक व्यवस्था संबंधित अपराधों में भी काफी कमी हुई है। वर्ष 1999 से 2003 तक वार्षिक औसत 12 हजार से भी अधिक था, जो चार वर्षों में घटकर 2 हजार 873 रह गया है। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली में 7 डकैत मारे गये तथा 296 डकैत गिरफ्तार हुए, जिनमें 26 इनामी डकैत थे।

- 81.** वर्ष 2007-08 में पुलिस विभाग को पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक बजट 1007 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया।
- 82.** राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में सामुदायिक सम्पर्क दल का गठन करने से लगभग 52 हजार सदस्य समाज में अपराधों की रोकथाम तथा शांति व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं।
- 83.** राज्य के प्रत्येक जिले में आई.एस.ओ. 9001-2000 के लिए एक थाना चयनित किया गया। अब तक 41 थानों को प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं तथा 165 पुलिस थानों के लिए प्रमाणीकरण प्रगति पर है। महिलाओं की समस्याओं के प्रभावी एवं त्वरित समाधान हेतु सभी थानों में महिला डेस्क स्थापित किये गये हैं। राज्य के 17 जिलों के 320 थानों को सीपा योजना में कम्प्यूटरीकृत किया गया है। राज्य में 162 नई पुलिस चौकियां स्थापित की गयी हैं, जिनमें से विशेषतया गौकशी को रोकने के लिए 14 पुलिस चौकियां/चैक पोस्ट स्थापित की गई हैं।
- 84.** राज्य पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु एक महिला सशस्त्र सिपाहियों की हाड़ी रानी आर्म्ड बटालियन गठित करने की प्रक्रिया जारी है। पिछले चार वर्षों में 8161 पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को नियुक्तियां दी गईं, जिनमें 1064 महिलाएं हैं। 3 हजार 900 कॉन्स्टेबलों की नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। राज्य पुलिसकर्मियों हेतु 10 हजार आवास गृहों का निर्माण कराया जा रहा है।
- 85.** राजस्थान ने नया पुलिस अधिनियम बनाने की पहल की है तथा सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर व्यापक, सुलझा हुआ एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने वाला कानून तैयार किया गया है। देश में अब तक केवल तीन राज्यों ने ही नया कानून बनाया है।
- 86.** फोरेन्सिक साइन्स निदेशालय का तकनीकी सुदृढीकरण व विस्तार किया जाकर राज्य, संभागीय व जिला स्तर पर त्रिस्तरीय फोरेन्सिक सेवाओं की व्यवस्था करली गई है। उदयपुर एवं कोटा में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं प्रारंभ की गई हैं तथा 30 मोबाइल यूनिट्स कार्यशील हैं। अभियोजन विभाग के द्वारा नियमित समीक्षा के फलस्वरूप आपराधिक प्रकरणों में दोष-सिद्धि का प्रतिशत 2003 में 53 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2007 में लगभग 60 प्रतिशत हो गया है।
- 87.** जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यास एवं स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण करायी जा रही दुकानों एवं कियोस्क्स में से 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु नीलामी की जा रही है।
- 88.** 1500 करोड़ रुपये लागत के राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण में एशियन डवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 17 जनवरी, 2008 को प्रथम परियोजना हेतु 300 करोड़ रुपये के लिये हस्ताक्षर किये गये हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 15 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जायेगा। राज्य के तीन शहरों जयपुर, अजमेर, पुष्कर को जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन हेतु चयन किया गया है। चयनित शहरों में आधारभूत विकास एवं शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में 1061 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

89. राज्य सरकार ने कच्ची बस्ती नीति, 2005 लागू की है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 2004 तक बसी कच्ची बस्तियों को नियमित किया जाएगा। इसमें 110 वर्ग गज तक आवासीय तथा 15 मीटर व्यावसायिक स्थान का नियमन हो सकेगा।
90. चुंगी समाप्ति के उपरान्त नगर निकायों को चुंगी से होने वाली आय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि कर अनुदान देने संबंधी प्रावधान को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 5 प्रतिशत करते हुए अनुदान देना आरम्भ किया गया। वर्तमान सरकार ने 10 प्रतिशत वृद्धि कर अनुदान देने के प्रावधान को पुनः लागू कर वर्ष 2007-08 में 599 करोड़ रुपये नगर निकायों को उपलब्ध कराये।
91. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर वर्तमान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष व्यय की गई राशि का दो गुना है।
92. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में विगत सरकार द्वारा पांच वर्षों के दौरान 103 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में ही इससे दो गुने से अधिक 214 करोड़ रुपये व्यय किये गये।
93. वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2007 तक 8 लाख 72 हजार 804 व्यक्तियों को 240 करोड़ रुपये की राशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराई गई है, जबकि गत सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अन्तिम वर्ष में 5 लाख 29 हजार 896 व्यक्तियों को 113 करोड़ रुपये की राशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। गाड़िया लुहारों को मकान निर्माण हेतु अनुदान राशि को 17 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है।
94. विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु गत सरकार द्वारा पांच साल के कार्यकाल के दौरान 3 हजार 683 बालिकाओं की शादी पर 2 करोड़ 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा गत चार वर्षों में 6 हजार 549 बालिकाओं की शादी हेतु 7 करोड़ 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
95. वर्तमान सरकार द्वारा 12 आवासीय विद्यालयों का संचालन कर प्रति वर्ष 8 करोड़ 48 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं, जबकि विगत सरकार द्वारा 2 आवासीय विद्यालय संचालित कर प्रति वर्ष 1 करोड़ 34 लाख रुपये व्यय किये गये। अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2007 तक 7 हजार 686 बच्चों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर 2 करोड़ 77 लाख रुपये व्यय किये गये।
96. राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 35 हजार 675 से बढ़कर 51 हजार 53 हो गई है। आई.सी.डी.एस. सेवाओं का विस्तार राज्य के 90 प्रतिशत आबादी क्षेत्र तक हो चुका है।
97. वर्ष 2007-08 में महिला अधिकारिता विभाग का सृजन किया गया। राज्य में 5 सूत्रीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वरोजगार के कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जा रही है।

- 98.** राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 8 हजार 122 साथिनें कार्यरत हैं। साथिनों द्वारा दी जा रही सेवाओं के महत्व के मद्देनजर उनका मानदेय बढ़ाकर इस वर्ष 1000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका के कार्यों की उपयोगिता को देखते हुए उनके मानदेय में क्रमशः 500 रुपये व 250 रुपये की वृद्धि की गई है।
- 99.** स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 1 लाख 54 हजार समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनमें से 1 लाख 2 हजार समूहों को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 222 करोड़ रुपये के ऋण दिलवाये जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2003 तक केवल 8 हजार 850 समूहों को 14 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाये गये थे। महिलाओं को स्वरोजगार हेतु विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिलवाकर तथा बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष 23 हजार महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये।
- 100.** औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए उठाये गये सकारात्मक कदमों के परिणामस्वरूप गत चार वर्षों में लगभग 50 हजार 553 लघु व दस्तकारी इकाइयों में 3 हजार 46 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ, जो कि गत सरकार के पांच वर्ष की अवधि में कुल विनियोजन की तुलना में लगभग 3 गुना है।
- 101.** राज्य सरकार श्रमिक कल्याण हेतु कृतसंकल्प है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए "जनश्री बीमा योजना" भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से लागू की गई, जिसके तहत पिछले चार वर्षों में 63 हजार 851 श्रमिकों को बीमित किया गया। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 14 अगस्त, 2006 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत 26 लाख 44 हजार बी. पी.एल. एवं 4 हजार आस्था कार्डधारी परिवारों के मुखिया को निःशुल्क जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- 102.** बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विशाल रोजगार मेलों की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई। विगत चार वर्षों में राज्य के सभी 32 जिलों में 109 रोजगार मेले आयोजित कर 1 लाख 1 हजार 537 बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया।
- 103.** सरकार द्वारा राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों पर यात्रियों के लिये पानी, बिजली, आवास, सड़क, उद्यान आदि की बुनियादी सुविधाओं का विकास करवाया जा रहा है। राज्य सरकार की नवीन धार्मिक पर्यटन नीति के तहत प्रमुख तीर्थ स्थल श्रीनाथजी, नाथद्वारा, श्री सांवलियाजी, श्री खाटूश्याम जी, गोगाजी, गोगामेडी, त्रिपुरासुन्दरी, सिद्धि विनायक जी मन्दिर बांसवाड़ा, द्वारकाधीशजी मन्दिर, झालरापाटन में विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। धार्मिक व पर्यटक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए 57 सड़क निर्माण स्वीकृतियां जारी की गईं, जिसमें से 36 स्थलों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। प्रत्येक जिले में एक "आदर्श सड़क" की स्वीकृति जारी की गई एवं 26 सड़कों का कार्य पूर्ण किया गया।
- 104.** प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं में इस वर्ष राज्य में 83 हजार 134 हैक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य तथा 103 लाख 15 हजार पौधों का वितरण किया गया है।

- 105.** पिछली सरकार द्वारा 189 नये परिवहन मार्ग की तुलना में वर्तमान सरकार द्वारा चार वर्ष में ही 534 नये परिवहन मार्ग खोले गए। राज्य की जनता को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने तथा परिवहन निगम के सुदृढीकरण के लिये 1 हजार 150 पुरानी एवं नाकारा बसों के स्थान पर नई बसों को पुनर्स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई है।
- 106.** भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को एपीएल योजना में खाद्यान्न का जून, 2006 से 16 हजार 959 मैट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन प्रतिमाह किया गया है। यह पूर्व में आवंटित मात्रा का मात्र 10 प्रतिशत है। गेहूं की खुले बाजार में अधिक कीमतों के कारण एपीएल परिवारों द्वारा भी गेहूं की मांग लगातार की जा रही है। राज्य सरकार एपीएल परिवारों के लिए गेहूं का आवंटन बढ़वाने हेतु भारत सरकार से निरन्तर प्रयासरत है।
- 107.** कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा पिछले चार वर्षों में स्मारकों, संग्रहालयों के विकास एवं संरक्षण, हैरिटेज जोन्स के विकास पर 32 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्षों में इन कार्यों पर 9 करोड़ रुपये व्यय हुए।
- 108.** राज्य में पर्यटकों के आगमन में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले चार वर्षों में 48 लाख विदेशी तथा 8 करोड़ 45 लाख देशी पर्यटकों द्वारा राजस्थान का भ्रमण किया गया, जबकि विगत सरकार के पांच वर्षों के दौरान 28 लाख विदेशी तथा 4 करोड़ 24 लाख देशी पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया।
- 109.** खनिज सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध राजस्थान ने धीरे-धीरे तेल एवं गैस क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लाइमस्टोन के भंडारों के आधार पर सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए झुंझुनूं तथा चित्तौड़गढ़ जिलों के 6 क्षेत्रों में उद्यमियों को आशय-पत्र जारी किये गये। खान श्रमिकों के हित में स्वास्थ्य परीक्षण एवं सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है।
- 110.** राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड ने खनिज सम्पदा के दोहन एवं विपणन से दिसम्बर, 2007 तक 444.23 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में 118 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अनुमानित है। नागौर जिले में स्थित मातासुख-कसनाऊ लिग्नाईट खान में उपलब्ध खारे पानी को मीठा करने हेतु DBOOT आधारित प्रतिदिन 13 मिलियन क्षमता धारित 50 करोड़ रुपये का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
- 111.** जनजाति क्षेत्रों में शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार की अनेक योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। कृषि, वानिकी, उद्यानिकी, सेरी कल्चर एवं पशुपालन कार्यक्रमों पर 5 करोड़ रुपये खर्च कर 13 हजार 801 परिवारों को लाभान्वित किया गया।
- 112.** वर्तमान में जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए 237 आश्रम छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत जनजाति की 18 हजार 897 बालिकाओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की गईं। सहरिया एवं माडा क्षेत्र में सात नये आश्रम छात्रावास और झालावाड़ तथा किशनगंज में दो आवासीय विद्यालय शुरू किये गये हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में 150 तथा सहरिया एवं कथौड़ी जाति के लिए 135 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं।

- 113.** राज्य में ई-गवर्नेन्स के आधारभूत ढांचे के सुदृढीकरण हेतु सचिवालय एवं 30 अन्य सरकारी भवनों के मध्य नेटवर्क स्थापित किया गया है। राज्य की समस्त जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं 1100 ग्राम पंचायतों के मध्य CARISMA नेटवर्क स्थापित किया गया है।
- 114.** आदर्श गौशाला निर्माण एवं विकास हेतु 4 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया। राज्य में बारां, धौलपुर और अलवर जिले में 13 नये पशु चिकित्सालय खोले गये। प्रदेश के देशी गौ एवं भैंस वंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए नवीन प्रजनन नीति 19 जनवरी, 2007 को लागू की गई।
- 115.** राज्य में 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों को समेकित वेतन तथा 113 पशु चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति दी गई। इसके अलावा 175 पशु चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति दी जा रही है। 499 पशुधन सहायकों को समेकित वेतन पर, 392 पशुधन सहायकों को नियमित नियुक्ति दी गई। प्रदेश में कार्यरत 285 पशु औषधालयों में से वित्तीय वर्ष 2007-08 में 140 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है।
- 116.** वर्तमान में 3146 महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है, जिनमें 1 लाख 72 हजार 986 महिलाएं सदस्य हैं।
- 117.** फ़ैडरेशन द्वारा अपने दुग्ध उत्पादकों हेतु एक अभिनव योजना "जनश्री बीमा" योजना प्रारम्भ की गई इसके अन्तर्गत अब तक 1 लाख 19 हजार दुग्ध उत्पादकों का बीमा कराया जा चुका है।
- 118.** राज्य में विगत चार वर्षों में विविध क्षेत्रों में हुए विकास एवं लोक कल्याण के कार्यों की जहां भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं योजना आयोग द्वारा समय-समय पर सराहना की गई वहीं अनेक क्षेत्रों में राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए "अन्तर्राष्ट्रीय यूनेस्को कम्प्यूशियस पुरस्कार, 2006" अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर प्राप्त हुआ है। राजस्थान ही एक मात्र ऐसा राज्य है, जिसे यह पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव मिला है। वर्ष 2006 में हनुमानगढ़ जिले को एवं वर्ष 2007 में चित्तौड़गढ़ जिले को साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर "सत्येन मैत्रेय" पुरस्कार प्राप्त करने का भी गौरव मिला है। इसी प्रकार विद्युत् क्षेत्र में सूरतगढ़ व कोटा तापीय गृहों द्वारा उत्कृष्ट उत्पादन हेतु दोनों विद्युत् गृहों को गोल्डन शील्ड तथा वर्ष 2005-06 में सूरतगढ़ तापीय विद्युत् गृह को कांस्य शील्ड प्रदान की गई। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के अन्तर्गत किये गये कार्यों तथा शहरी सुधारों पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को राज्य श्रेणी में द्वितीय तथा अजमेर नगर परिषद् को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 119.** कृषि क्षेत्र में "रबी अभियान 2005-06" के सफल क्रियान्वयन एवं उत्कृष्ट परिणाम देने में अपने समूह में अग्रणी रहने पर केन्द्र सरकार से राजस्थान को एक करोड़ रुपये की नकद राशि का अवार्ड मिला है। राज्य को "ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत विकास" की श्रेणी में इण्डिया टेक फाउण्डेशन, मुम्बई द्वारा प्रदत्त इण्डिया टेक एक्सीलैन्सी अवार्ड हेतु प्रथम पुरस्कार मिला है। वर्ष 2007-08 में सफल जलग्रहण विकास कार्यक्रम हेतु राज्य को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली द्वारा नया गांव जलग्रहण क्षेत्र जिला राजसमन्द तथा हरिपुरा (कोटा) को क्रमशः प्रथम व द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिले हैं। पशुधन विकास के अन्तर्गत

हिमकृत वीर्य बैंक, बस्सी, जयपुर को आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

- 120.** पिछले चार वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 32 अवार्ड प्राप्त किए। राजस्थान पर्यटन को प्रभावी प्रचार के लिए प्रतिष्ठित "Gallileo Express Travel and Tourism Award-2004-2005" राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। साटे ओपन-वर्ल्ड मार्ट, नई दिल्ली में अप्रैल, 2006 में राजस्थान को दक्षिण एशिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जून, 2007 में राजस्थान को "लोकप्रिय पर्यटन स्थल" श्रेणी में सी.एन.बी.सी. आवाज द्वारा सम्मानित किया गया।
- 121.** राज्य पुलिस के सराहनीय कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। जयपुर शहर के शिप्रा पथ थाने को नीदरलैण्ड की आल्टस ग्लोबल अलाइन्स संस्था द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में किये गये विशिष्ट कार्य के लिए अमेरिका के एनीमल वेलफेयर इन्स्टीट्यूट द्वारा क्लार्क आर बेविन लाइफ ला एन्फोर्समेंट अवार्ड राजस्थान पुलिस को प्राप्त हुआ। जुलाई, 2007 में सिंगापुर में क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग व सनसनी खेज अपराधों का खुलासा करने के लिए एशिया पैसिफिक रिस्क कान्फ्रेंस में अवार्ड प्रदान किया गया।
- 122.** राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में राजकीय कर्मचारियों के कल्याण के कई कदम उठाये। 24 मई, 2004 को राजकर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई। वर्ष 2003-04 से निरन्तर राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को महंगाई भत्ता वेतन मानकर उस पर भी महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। मृतक राज्य कर्मचारियों के 5 हजार 500 से अधिक आश्रितों को गत 4 वर्षों में नियुक्ति दी गई है। वर्ष 2008-09 से राज्य कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान किये जाने की घोषणा की जा चुकी है।
- 123.** माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न नवीन विधेयक विधान सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे:-
1. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त(संशोधन) विधेयक, 2008
 2. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008
 3. राजस्थान कृषि उपज मण्डी(संशोधन) विधेयक, 2008
 4. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विधेयक, 2008
- 124.** इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी किये जायेंगे :-
1. वर्ष 2008-09 के लिये आय-व्ययक अनुमान एवं तत्सम्बन्धी मांगें।
 2. वर्ष 2007-08 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगें।
- 125.** माननीय सदस्यगण ! अनेकता में एकता ही हमारी महान संस्कृति की विशेषता रही है। हमारे दर्शन अनेकतावाद, द्वैतवाद से होकर अद्वैतवाद पर आते हैं। द्विशत का ध्येय एक हो। राजस्थान के विकास के लिए हम मिल-जुल कर काम करें ताकि इतिहास में हमारी एकता एवं भाईचारे का स्वर्णिम अक्षरों में उल्लेख हो।

126. राजस्थान की महान जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ उठावें। सर्वजन हित हेतु हम जनता-जनार्दन एवं सरकार के बीच सेतु बनकर राज्य को विकास-शिखर पर पहुंचाएं।

127. आओ ! हम सब मिलकर राजस्थान की आन-बान-शान में श्रीवृद्धि करें। अन्त में कहना चाहूंगा-

अरावली गिर आन से, मरु मंगल मुस्कान।
गाएं मिल-जुल शान से, जय जय राजस्थान।।

जयहिन्द !

महामहिम राज्यपाल महोदय
के
अभिभाषण का प्रारूप